

२३/१/१८

बकुलाए फारि ने नउप पत्रावली का
अवलोकन किया गया। वाइवारीगण
अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत
निर्णय अलग से लिखवाया जाकर
शामिल फाइल किया गया। पत्रावली
नम्बर से चाम की जाकर बड
तरतीब तकमील जास्ताहाकिल
इम्तर व। इनादेश पार इजलाह
सुनाया गया। (दि)

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

2

ईजलास :- सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

करण संख्या :- 01/2018

साहबराम पुत्र गंगाजल जाति जाट निवासी गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

कुलदीप गंगाजल जाति जाट निवासी गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

---वादीगण

बनाम

दयाराम पुत्र गंगाजल जाति जाट निवासी गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

2. रामकुमार पुत्र गंगाजल जाति जाट निवासी गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

3. श्योपतसिंह पुत्र गंगाजल जाति जाट निवासी गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

4. ओबीसी शाखा गोलूवाला जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा गोलूवाला।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

---प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 आरटीए


उपस्थित :-

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता | वादीगण |
| 2. श्री महावीर गोदारा अधिवक्ता | प्रतिवादी सं. 1 ता 3 |
| 3. राजपैरोकार स्टेट | प्रतिवादी सं. 5 |

निर्णय

दिनांक :- 23/1/18

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने विरुद्ध प्रतिवादीगण वाद अन्तर्गत धारा 53 आरटीए के तहत इन अभिकथनों के साथ पेश किया है कि वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के नाम चक 19 जेआरके खाता सं. 219/213 प.न. 39/245 मु.न. 111 कि.न. 8,12,18,19,20,21,22,23, प.न. 38/245 मु.न. 112 कि.न. 4,7 कुल 2.302 है0 कमाण्ड अनकमाण्ड मय गै.मु. भूमि व चक 4 यूएमडब्ल्यू खाता सं. 21/17 प.न. 21/206 मु.न. 34 कि.न. 6,7,10,11,14,15,16,25 प.न. 22/206 मु.न. 35 कि.न. 16 ता 25, प.न. 22/207 मु.न. 42 कि.न. 1 ता 10, 12 ता 15 कुल 8.096 है0 मय गै.मु. भूमि व चक 21 जेआरके खाता सं. 9/13 प.न. 39/246 मु.न. 5 कि.न. 2/0.177, 3/0.177, 4/0.164, 7 ता 9, 12 ता 14, 17 ता 19, 22 व 23 कुल 3.301 है0 नहरी भूमि व चक 21 जेआरके खाता सं. 14/21 प.न. 39/246 मु.न. 5 कि.न. 16, 25 प.न. 39/252 मु.न. 26 कि.न. 1,2,9,10,11,12,19,20,21,22 प.न. 37/252 मु.न. 28 कि.न. 6/2/0.127, 7 ता 11 कुल 4.428 है0 मय गै.मु. भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की भूमि है। पूर्व में उक्त भूमि वादीगण के पिता स्व. गंगाजल की भूमि थी जो उनके फौत होने के बाद वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 को विरासतन में प्राप्त हुई तथा हक व हिस्सानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन होने पर वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 ने अच्छी मंदा व काश्त की सुविधा के अनुसार आपस में घरुबंटवारा कर लिया। मुताबिक घरुबंटवारा वादी सं. 1 साहबराम को चक 4 यूएमडब्ल्यू के खाता सं. 21/17 प.न. 21/206 मु.न. 34 कि.न. 6,7,10,11,14,15,16,25, प.न. 22/206 मु.न. 35 कि.न. 17 ता 24, चक 19 जेआरके के खाता सं. 219/213 के प.न. 38/245 मु.न. 112 कि.न. 4/0.127 पश्चिमी दिशा, 7/0.126 पश्चिमी दिशा कुल 4.301 है0 मय गैरमुमकिन भूमि प्राप्त हुई, वादी सं. 2 कुलदीप को चक 19 जेआरके के खाता सं. 219/213 प.न. 39/245 मु.न. 111 कि.न. 8,12,18,19,20, 21/0.177, 22/0.177, 23/0.177, चक 21 जेआरके खाता सं. 14/21 प.न. 39/246 मु.न. 5 कि.न. 16, 25, चक 21 जेआरके खाता सं. 9/13 के प.न. 39/246 मु.न. 5 कि.न. 4/0.013 पूर्वी सीव पर उत्तर से दक्षिण, 7/0.013 पूर्वी सीव पर उत्तर से दक्षिण।


सहायक कलैक्टर

14/0.221, 17 कुल 2.802 है० मय गैरमुमकिन भूमि प्राप्त हुई, प्रतिवादी सं. 1 दयाराम को चक 21 जेआरके खाता सं. 9/13 प.न. 39/246 मु.न. 5 कि.न. 2/0.177, 3/0.177, 4/0.151, 7/0.240, 8,9,12,13, 14/0.032, 18, 19, 22, 23 कुल 2.801 है० मय गै.मु. भूमि प्राप्त हुई, प्रतिवादी सं. 2 रामकुमार को चक 21 जेआरके खाता सं. 14/21 प.न. 39/252 मु.न. 26 कि.न. 1,2,9,10,11,12,19,20,21,22, प.न. 37/252 मु.न. 28 कि.न. 6/2/0.127, 7 ता 11 कुल 3.922 है० मय गै.मु. भूमि प्राप्त हुई तथा प्रतिवादी सं. 3 श्योपतसिंह को चक 4 यूएमडब्ल्यू के खाता सं. 21/17 प.न. 22/206 मु.न. 35 कि.न. 16, 25, प.न. 22/207 मु.न. 42 कि.न. 1 ता 10, 12 ता 15, चक 19 जेआरके खाता सं. 219/213 प.न. 38/245 मु.न. 112 कि.न. 4/0.126 पूर्वी दिशा में, 7/0.127 पूर्वी दिशा में कुल 4.301 है० मय गै.मु. प्राप्त हुई। वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 घरुबंटवारा के रोज से ही अपने हक हिस्सा की भूमि पर काबिज रहकर काशत कर रहे हैं। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादपत्र में वर्णितानुसार घरुबंटवारा बंटवारा के मुताबिक वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 का खाता अलग अलग कायम कर उसी अनुसार रकमराज अलग अलग कायम की जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 की ओर से श्री महावीर गोदारा विद्वान अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं. 5 स्टेट की ओर से राजपैरोकार ने जवाब पेश किया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 4 व 6 बाद तामील उपस्थित नहीं आये।

उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा राजीनामा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रकरण में पक्षकारान का आपस में राजीनामा हो गया है। वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के नाम चक 19 जेआरके खाता सं. 219/213 प.न. 39/245 मु.न. 111 कि.न. 8,12,18,19,20,21,22,23, प.न. 38/245 मु.न. 112 कि.न. 4,7 कुल 2.302 है० कमाण्ड अनकमाण्ड मय गै.मु. भूमि व चक 4 यूएमडब्ल्यू खाता सं. 21/17 प.न. 21/206 मु.न. 34 कि.न. 6,7,10,11,14,15,16,25 प.न. 22/206 मु.न. 35 कि.न. 16 ता 25, प.न. 22/207 मु.न. 42 कि.न. 1 ता 10, 12 ता 15 कुल 8.096 है० मय गै.मु. भूमि व चक 21 जेआरके खाता सं. 9/13 प.न. 39/246 मु.न. 5 कि.न. 2/0.177, 3/0.177, 4/0.164, 7 ता 9, 12 ता 14, 17 ता 19, 22 व 23 कुल 3.301 है० नहरी भूमि व चक 21 जेआरके खाता सं. 14/21 प.न. 39/246 मु.न. 5 कि.न. 16, 25 प.न. 39/252 मु.न. 26 कि.न. 1,2,9,10,11,12,19,20,21,22 प.न. 37/252 मु.न. 28 कि.न. 6/2/0.127, 7 ता 11 कुल 4.428 है० मय गै.मु. भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 ने उक्त भूमि का घरुबंटवारा किया हुआ है तथा मुताबिक घरुबंटवारा वादी सं. 1 साहबराम को चक 4 यूएमडब्ल्यू के खाता सं. 21/17 प.न. 21/206 मु.न. 34 कि.न. 6,7,10,11,14,15,16,25, प.न. 22/206 मु.न. 35 कि.न. 17 ता 24, चक 19 जेआरके के खाता सं. 219/213 के प.न. 38/245 मु.न. 112 कि.न. 4/0.127 पश्चिमी दिशा, 7/0.126 पश्चिमी दिशा कुल 4.301 है० मय गैरमुमकिन भूमि प्राप्त हुई, वादी सं. 2 कुलदीप को चक 19 जेआरके के खाता सं. 219/213 प.न. 39/245 मु.न. 111 कि.न. 8,12,18,19,20, 21/0.177, 22/0.177, 23/0.177, चक 21 जेआरके खाता सं. 14/21 प.न. 39/246 मु.न. 5 कि.न. 16, 25, चक 21 जेआरके खाता सं. 9/13 के प.न. 39/246 मु.न. 5 कि.न. 4/0.013 पूर्वी सीव पर उत्तर से दक्षिण, 7/0.013 पूर्वी सीव पर उत्तर से दक्षिण, 14/0.221, 17 कुल 2.802 है० मय गैरमुमकिन भूमि प्राप्त हुई, प्रतिवादी सं. 1 दयाराम को चक 21 जेआरके खाता सं. 9/13 प.न. 39/246 मु.न. 5 कि.न. 2/0.177, 3/0.177, 4/0.151, 7/0.240, 8,9,12,13, 14/0.032, 18, 19, 22, 23 कुल 2.801 है० मय गै.मु. भूमि प्राप्त हुई, प्रतिवादी सं. 2 रामकुमार को चक 21 जेआरके खाता सं. 14/21 प.न. 39/252 मु.न. 26 कि.न. 1,2,9,10,11,12,19,20,21,22, प.न. 37/252 मु.न. 28 कि.न. 6/2/0.127, 7 ता 11 कुल 3.922 है० मय गै.मु. भूमि प्राप्त हुई तथा प्रतिवादी सं. 3 श्योपतसिंह को चक 4 यूएमडब्ल्यू के खाता सं. 21/17 प.न. 22/206 मु.न. 35 कि.न. 16, 25, प.न. 22/207 मु.न. 42 कि.न. 1 ता 10, 12 ता 15, चक 19 जेआरके खाता सं. 219/213 प.न. 38/245 मु.न. 112 कि.न. 4/0.126 पूर्वी दिशा में, 7/0.127 पूर्वी दिशा में कुल 4.301 है० मय गै.मु. प्राप्त हुई। इसलिये मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तो वादीगण व प्रतिवादीगण को आपत्ति एतराज नहीं है।

GL
सहायक क्लर्क
एन एफएडिआर
दरभंगा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

ईजलारा :- सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

साहबराम पुत्र गंगाजल जाति जाट निवासी गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

कुलदीप गंगाजल जाति जाट निवासी गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

---वादीगण

बनाम

1. दयाराम पुत्र गंगाजल जाति जाट निवासी गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

2. रामकुमार पुत्र गंगाजल जाति जाट निवासी गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

7. श्योपतसिंह पुत्र गंगाजल जाति जाट निवासी गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

8. आंधीसी शाखा गोलूवाला जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा गोलूवाला।

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

---प्रतिवादीगण

वाद संख्या 01 सन् 2018 निर्णय दिनांक 23.11.18

दावा अन्तर्गत धारा 53 आरटीए

डिक्री

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आरएएस समक्ष अभिभाषक वादी श्री इन्द्राज गोदारा तथा अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 श्री महावीर गोदारा एवं राजपैरोकार स्टेट प्रतिवादी सं. 5 की उपस्थिति मे निर्णय प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि मुताबिक रजिनामा वादी सं. 1 साहबराम चक 4 यूएमडब्ल्यू के खाता सं. 21/17 प.न. 21/206 मु.न. 34 कि.न. 6,7,10,11,14,15,16,25, प.न. 22/206 मु.न. 35 कि.न. 17 ता 24, चक 19 जेआरके के खाता सं. 219/213 के प.न. 38/245 मु.न. 112 कि.न. 4/0.127 पश्चिमी दिशा, 7/0.126 पश्चिमी दिशा कुल 4.301 है० मय गैरमुमकिन भूमि खातेदार काश्तकार है, वादी सं. 2 कुलदीप चक 19 जेआरके के खाता सं. 219/213 प.न. 39/245 मु.न. 111 कि.न. 8,12,18,19,20, 21/0.177, 22/0.177, 23/0.177, चक 21 जेआरके खाता सं. 14/21 प.न. 39/246 मु.न. 5 कि.न. 16, 25, चक 21 जेआरके खाता सं. 9/13 के प.न. 39/246 मु.न. 5 कि.न. 4/0.013 पूर्वी सीव पर उत्तर से दक्षिण, 7/0.013 पूर्वी सीव पर उत्तर से दक्षिण, 14/0.221, 17 कुल 2.802 है० मय गैरमुमकिन भूमि का खातेदार काश्तकार है, प्रतिवादी सं. 1 दयाराम चक 21 जेआरके खाता सं. 9/13 प.न. 39/246 मु.न. 5 कि.न. 2/0.177, 3/0.177, 4/0.151, 7/0.240, 8,9,12,13, 14/0.032, 18, 19, 22, 23 कुल 2.801 है० मय गै.मु. भूमि का खातेदार काश्तकार है, प्रतिवादी सं. 2 रामकुमार चक 21 जेआरके खाता सं. 14/21 प.न. 39/252 मु.न. 26 कि.न. 1,2,9,10,11,12,19,20,21,22, प.न. 37/252 मु.न. 28 कि.न. 6/2/0.127, 7 ता 11 कुल 3.922 है० मय गै.मु. भूमि का खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी सं. 3 श्योपतसिंह चक 4 यूएमडब्ल्यू के खाता सं. 21/17 प.न. 22/206 मु.न. 35 कि.न. 16, 25, प.न. 22/207 मु.न. 42 कि.न. 1 ता 10, 12 ता 15, चक 19 जेआरके खाता सं. 219/213 प.न. 38/245 मु.न. 112 कि.न. 4/0.126 पूर्वी दिशा मे, 7/0.127 पूर्वी दिशा मे कुल 4.301 है० मय गै.मु. भूमि का खातेदार काश्तकार है। उक्तानुसार वाद रहन मुक्त इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। तादाद 100/-रु० का स्टाम्प तकमीलन शामिल फाईल करवाया जावे। व्यय वाद उभय पक्ष वादीगण/प्रतिवादीगण स्वयं अपना अपना वहन करेगे। आज दिनांक 23.11.18 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़
सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी